न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्, जहानाबाद

जिला–जहानाबाद (बिहार)

अग्रिम जमानत याचिका सं0–588/2026

हुलासगंज थाना कांड संख्या–246/2025, जिला–जहानाबाद

---

1. सुनिल कुमार उर्फ सुनिल प्रसाद पिता–रामजी यादव उर्फ उपेन्द्र यादव उम्र–27 वर्ष।
निवासी–ग्राम घनष्याम विगहा, थाना हुलासगंज, जिला जहानाबाद।

.....**याचिकाकर्ता**

बनाम्

स्टेट ऑफ बिहार

उपस्थितः
याचिकाकर्ता की ओर से– मो0 इम्तयाज अहमद (विद्वान अधिवक्ता)
विपक्षी की ओर से– श्री अमरनाथ कुमार (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

02.05.2026

आवेदक–अभियुक्त सुनिल कुमार उर्फ सुनिल प्रसाद की तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक–अभियुक्त हुलासगंज थाना कांड संख्या–246/2025 अंतर्गत धारा–126(2),115(2),308(3),352,351(2),351(3),3(5),109(1) बी0एन0एस0 एवं 25(1–बी0)(ए0),26,27 आर्म्स एक्ट के नामित अभियुक्त हैं। याचिका की एक प्रति लोक अभियोजक द्वारा पूर्व में प्राप्त की जा चुकी है।

आवेदक–अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

अभियोजन वाद संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 19.07.2025 को समय करीब 12:00 बजे नवनिर्मि मकान पर हुलासगंज थाना के पुलिस अधिकारी के समक्ष बयान देता हूँ कि मैं और मेरा भाई रविंद्र यादव मिलकर राज मिस्त्री एवं मजदूर के सहयोग से अपना घर बनवा रहे थे कि अचानक रामजी यादव, सौरव कुमार, सुनिल कुमार, सुजित यादव एवं अन्य चार पांच अज्ञात व्यक्ति मेरे विवादित निर्मित मकान पर और मुझे एवं मेरे भाई को मारने पिटने लगा और गाली गलौज करते हुए बोला कि साले तुम किसके आदेष से बना रहे हो। इस बात पर जब हम बोले कि सरकारी अमीन से नापी कराकर अंचलाधिकारी के आदेष आरी से पच्चीस फीट छोडकर अपना घर बना रहा हूँ। इस बात पर सुनिल कुमार मेरे सिर पर पिस्तौल तान दिया पिस्तौल देखकर जब मैं भागा तो उसने पीछे से खदेरते हुए फायर कर दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर अपने छोटे चाचा के घर में घुंस गया। जबकि मेरा भाई पिस्तौल चलाने वाले के साथ पिस्तौल छिनने के लिए गुथम गुथा करने लगा। जब मेरा भाई हल्ला किया तो सुनिल सौरव एवं उसके साथ आए व्यक्ति मेरा बना हुआ दिवार तोड दिया जब मेरा भाई विरोध किया तो उसके साथ मारपीट किया एवं जाते जाते मेरे भाई को जान मारने की नियत से गोली चलाया। दिवार तोड फोड के क्रम में एक देषी कट्टा गिर गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक–अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई

Web copy Jehanabd

02.05.2026

अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त कि ओर से इस जमानत आवेदन के पूर्व कोई भी नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी वरीय न्यायालय अथवा पटना उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, एवं ना हीं लंबित है। अभियुक्त का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त सेना में नौकरी करता है एवं घटना के दिन वह जम्मु में पोस्टेड था। आवेदक'–अभियुक्त पर लगाया गया सारा आरोप बिल्कुल निराधार और सत्य से परे है, उसे इस कांड में झूठा फंसाया गया है। सारे अभियुक्त इस वाद के सह–अभियुक्त रामजी यादव के परिवार है एवं सुनिल कुमार घटित घटना के तिथी को डियुटी पर जम्मू कश्मीर में था। उनका यह भी कहना है कि आवेदक अदालत द्वारा अग्रिम जमानत मंजुर किये जाने के दशा में न्यायालय द्वारा जमानत के बारे में लगाई जाने वाली सभी शर्तो को मानने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

दूसरी ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक–अभियुक्त की ओर से दाखिल इस अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया है।

जमानत याचिका पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है एवं उसके उपर इस वाद के सूचक एवं उसके भाई के साथ मारपीट कर जख्मी करने का आरोप लगाया गया है। जबकि अभियुक्त उक्त घ ाटना के समय घटनास्थल पर मौजुद नहीं था वह अपने डियुटी पर जम्मु कशमीर में तैनात था इस संबंध में उनके अधिवक्ता द्वारा गार्ड बुक भी दाखिल किया गया है जो अभिलेख पर उपलब्ध है। फर्दबयान एवं कांड दैनिकी के अनुसार अभियुक्त के द्वारा इस वाद के सूचक के सिर पर केवल पिस्तौल ताना गया है। भागने के क्रम में फायर हुआ है परंतु उस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। मारपीट के क्रम में जख्मी हुए है, एवं डॉक्टर के द्वारा जख्म को साधारण प्रकृति का बताया है। दोनों के बीच भुमि विवाद है एवं दोनों के बीच पलटा मुकदमा भी दर्ज है। कांड दैनिकी के पैरा 29 के अनुसार उसके उपर पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास भी दर्ज नही है। इस वाद के अन्य सह–अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम् के न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानपत आवेदन सं0– 1194/25 के द्वारा जमानत का लाभ पूर्व में दिया जा चुका है।

अतः ऐसी स्थिति में आवेदक–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आवेदक–अभियुक्त सुनिल कुमार उर्फ सुनिल प्रसाद की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकृत कर आदेश की तिथि से 15 दिनों के अंदर आत्मसर्मपण या गिरफ्तारी के पश्चात् मो0 10,000/– रु0 के दो समान प्रतिभू के साथ बंध–पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 482(2) के अंतर्गत दाखिल करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम, जहानाबाद।
दिनांक–02.05.2026

In the office of Addl. Session Judge-VII, Jehanabd
Memo No. /2026 dated -

A Copy of order dated 02-05-2026 in A.B.P. 588/2026 is transmitted to the Court of C.J.M Jehanabad

Web copy Jehanabd

Web copy Jehanabd